भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3458
दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

पेयजल का संदूषण

3458. श्री जुएल ओराम:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में पेयजल संदूषण बढ़ रहा है;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश के कई भागों में पेयजल के शुद्धिकरण हेतु नवीनतम प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने का है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस क्षेत्र में आज तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) से (ग): ''जल'' राज्य का विषय होने के कारण पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन और कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें ही करती हैं। जल आपूर्ति/जल एवं स्वच्छता/लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और/या संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अर्ध-सरकारी (पैरास्टेटल) संगठन, अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जल आपूर्ति की व्यवस्था करने और आपूर्तित जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

भारत सरकार, अगस्त 2019 से, राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) – हर घर जल का क्रियान्वयन कर रही है ताकि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को निर्धारित गुणवत्ता के साथ पर्याप्त मात्रा में और नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल जल आपूर्ति उपलब्ध कराई जा सके।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां आबंटित करते समय रासायनिक संदूषकों से प्रभावित बसावटों में रहने वाली आबादी को 10% भारांक महत्व दिया जाता है। जेजेएम

के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का उपयोग आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों सहित गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में प्राथमिकता के आधार पर स्कीमें शुरू करने के लिए भी किया जा सकता है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं वाले गांवों के लिए वैकल्पिक सुरक्षित जल स्रोतों पर आधारित पाइपगत जलापूर्ति स्कीमों की आयोजना बनाएं और उन्हें कार्यान्वित करें। चूंकि, सुरक्षित जल स्रोत पर आधारित पाइपगत जलापूर्ति योजना की आयोजना, इसके कार्यान्वयन और चालू करने में समय लग सकता है, अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे मात्र एक अंतरिम उपाय के रूप में, विशेष रूप से आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) स्थापित करें ताकि प्रत्येक परिवार को उनकी पीने और खाना पकाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 8-10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) की दर से पीने योग्य जल उपलब्ध कराया जा सके।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की संख्या में कमी आई है। जेजेएम के शुभारंभ के बाद से, 1 अगस्त, 2019 को दी गई सूचना के अनुसार, गुणवत्ता प्रभावित 57,539 बसावटों में से 40,314 बसावटों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया है, जिसमें सभी 14,020 आर्सेनिक और 7,996 फ्लोराइड प्रभावित बसावटें शामिल हैं। जैसा कि इन आंकड़ों से स्पष्ट है, पेयजल आपूर्ति के लिए देश में जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में उल्लेखनीय कमी आई है।

जल जीवन मिशन के तहत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के आईएस: 10500 मानक को अपनाया जाना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवधिक आधार पर अर्थात रासायनिक और भौतिक मापदंडों के लिए वर्ष में एक बार और बैक्टीरियोलॉजिकल मापदंडों के लिए वर्ष में दो बार जल गुणवत्ता का परीक्षण करने और जहां भी आवश्यक हो, उपचारात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवारों को आपूर्ति किया जाने वाला जल निर्धारित गुणवत्ता का है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आज की स्थिति के अनुसार, देश में विभिन्न स्तरों अर्थात राज्य, जिला, उप-मंडल और/या ब्लॉक स्तर पर 2,087 पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। पीने योग्य पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण को प्रोत्साहित करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आम जनता के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं खोली हैं ताकि वे अपने जल नमूनों का मामूली दर पर परीक्षण करा सके।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे प्रत्येक गांव से 5 व्यक्तियों, अधिमानत: महिलाओं, की पहचान करें और उन्हें प्रशिक्षित करें ताकि वे ग्राम स्तर पर एफटीके/बैक्टीरियोलॉजिकल शीशियों का उपयोग करके जल गुणवत्ता परीक्षण कर सकें और डब्ल्यूक्यूएमआईएस पोर्टल पर इसकी सूचना दे सकें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए

गए अनुसार, अब तक, 22.56 लाख से अधिक महिलाओं को एफटीके का उपयोग करके जल परीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है।

जेजेएम के शुभारंभ के बाद से, वर्ष-वार, प्रयोगशालाओं में पानी की गुणवत्ता के नमूनों का परीक्षण 2018-19 में लगभग 40 लाख नमूनों से बढ़कर 2022-23 में 62 लाख से अधिक नमूनों तक पहुंच गया है। इसी तरह, एफटीके का उपयोग करके जल की गुणवत्ता का परीक्षण 2018-19 में लगभग 11 लाख नमूनों से बढ़कर 2022-23 के दौरान 1.07 करोड़ जल के नमूनों तक पहुँच गया है।

तकनीकी समाधानों के लिए, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है जो विभिन्न नवाचारों और जल से संबंधित ऐसी नई प्रौद्योगिकियों की जांच और सिफारिश करेगी, जिनका उपयोग प्रत्येक घर में पीने योग्य नल जल आपूर्ति प्रदान करने में किया जा सकता है। तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर राज्य उपयुक्त जल शोधन प्रणाली शुरू कर सकते हैं।

*****